उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग—7 संख्या—1056/9—7—18—29(लखनऊ)/18 लखनऊ:दिनांक /5 जुलाई, 2018

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा—कचरा (विनियमन) अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 6क,7,12 और 13क के अधीन शिक्तयों का प्रयोग करके राज्यपाल,—

- (क) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गिठत नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में 50माइक्रोन से कम घनत्व के प्लास्टिक कैरी बैगों और 50 अथवा उससे अधिक माइक्रोन के घनत्व के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों, जिनके विनिर्माता का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या न हों, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (ख) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में एक बार उपयोग के पश्चात् निस्तारण योग्य कपों, गिलासों, प्लेटों, चम्मचों, टंबलरों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय , वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को, दिनांक 15 अगस्त, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (ग) अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम या राज्य की औद्योगिक नगरी के आने वाले क्षेत्रों में समस्त प्रकार के निस्तारण योग्य प्लास्टिक कैरी बैगों के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात या निर्यात को दिनांक 2 अक्टूबर, 2018 से प्रतिषिद्ध करते हैं;
- (घ) अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य, अपनी— अपनी अधिकारिता क्षेत्रों के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रदत्त करते हैं:—
 - (एक) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट और परगना मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश;

Many

- (दो) उत्तर प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों के समस्त नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, सफाई निरीक्षक (क्रमशः नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारियों की अनुज्ञा से);
- (तीन) सदस्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, समस्त पर्यावरण अभियन्ता, वैज्ञानिक अधिकारी, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, सहायक वैज्ञानिक अधिकारी,अवर अभियंता और वैज्ञानिक सहायक, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश;
- (चार) निदेशक, पर्यावरण, उप निदेशक, पर्यावरण और सहायक निदेशक, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश;
- (पाँच) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (छः) समस्त उप/सहायक माल एवं सेवाकर अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (सात) समस्त प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (आड) समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार, उत्तर प्रदेश;
- (नौ) समस्त पर्यटन अधिकारी और सहायक पर्यटन अधिकारी, उत्तर प्रदेश;
- (दस) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;
- (ग्यारह) समस्त खाद्य एवं सुरक्षा निरीक्षक, उत्तर प्रदेश;
- (बारह) उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के सहायक प्रबंधक, अवर अभियन्ता और उससे ऊपर के अधिकारियों की श्रेणी के समस्त अधिकारी;
- (ड0) अपराधों का शमन करने वाले अधिकारियों द्वारा वसूल की जाने वाली निम्नलिखित शगन फीस विनिर्दिष्ट करते हैं:--

क्रम सं0(क)	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निरतारण योग्य पॉलीथीन कैरी बैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	धनराशि रूपयों में
1	100 ग्राम तक	1,000
2	101 ग्राम-500 ग्राम	2,000
3	501 ग्राम—1 किलोग्राम	5,000
4	1 किलोग्राम —5 किलोग्राम	10,000
5	5 किलोग्राम से अधिक	25,000

Yanaf

ख	किसी संस्था / वाणिज्यिक रांस्था / वाणिज्यिक प्रतिष्ठान /	25,000
	भीधिक संस्थाओं /कार्यालयों /होटलों /दकानों /रेस्तराओं /	,
}	मिष्टान दकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षी	
	आदि दारा परिसर के अंतर्गत और सड़कों, मार्गो, नाली, नादया,	
	झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक	
	रथलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका जाना;	1.000
ग	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों यथा शैक्षिक	1,000
	संस्थाओं / कार्यालयों / होटलों / दुकानों / रेस्तराओं / मिष्ठान	
	दुकानों / ढाबों / औद्योगिक प्रतिष्ठानों / भोजन कक्षों आदि में	
	और सड़कों, मार्गों, नदियों, झीलों, सार्वजनिक पार्कों, वन क्षेत्रों और समस्त सार्वजनिक स्थानों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेका	
	समस्त संविजीनक स्थाना आदि पर प्लास्टिक जवाराव्य पर करन	Ĭ
	जाना	

- (च) उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण को पूर्वोक्त अधिनियम में यथा उपबंधित स्थानीय प्राधिकारी की शक्तियां और कर्तव्य प्रदत्त करते हैं;
- (छ) यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिग्रहीत सामग्री का निस्तारण, पुनः उपयोगकर्ताओं या सह प्रसंस्करण इकाइयों के माध्यम से पर्यावरणीय रूप में सौहाद्वपूर्ण रीति से किया जायेगा।

 एदत्पूर्व यथा उपबंधित के सिवाय यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत होगी।

आज्ञा से, ,

भक्तार (सनोज कुमार (सह)

प्रमुख सचिवं

UTTAR PRADESH SHASHAN NAGAR VIKAS ANUBHAG-7

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1056/9-7-18-29(Lucknow)/18, dated 15 July, 2018

NOTIFICATION

No-1056/9-7-18-29 (Lucknow)/18,

Dated Lucknow: 15 July, 2018

In exercise of the powers under sections 6A, 7, 12, and 13 A of the Uttar Pradesh Plastic and other Non-Biodegradable Garbage (Regulation) Act, 2000 (U.P. Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to,-

- (a) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of plastic carry bags of thickness less than 50 microns and disposable plastic carry bags of thickness 50 microns or above not having the name and registration number of manufacturer with effect from the date of the publication of this notification in the Gazette.
- (b) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of cups, glasses, plates, spoons, tumblers, etc made up of plastic or thermocol disposable after one time use with effect from August, 15, 2018.
- (c) prohibit in areas falling in a Nagar Panchayat, Nagar Palika, Nagar Nigam or Industrial Township of the state constituted under Article 243Q, the use, manufacture, sale, distribution, storage, transport, import or export of all kinds of disposable plastic carry bags with effect from October, 2, 2018.
- (d) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the Act on the following officers in the areas of their jurisdiction:-

Manof

- (i) All the District Magistrates, Additional District Magistrates and Sub-Divisional Magistrates in Uttar Pradesh.
- (ii) All Municipal Commissioners, Additional Municipal Commissioners, Executive Officers, Zonal Officers, Sanitary Inspectors (with permission of Municipal Commissioner and Executive Officers respectively) of the Urban Local Bodies in Uttar Pradesh.
- (iii) Member Secretary, State Pollution Control Board, All the Environmental Engineer, Scientific Officers, Assistant Environmental Engineer, Assistant Scientific Officers, Junior Engineer, and Scientific Assistant of State Pollution Control Board in Uttar Pradesh.
- (iv) Director, Environment, Deputy Director Environment, and Assistant Director Environment in Uttar Pradesh.
- (v) All the Chief Medical Officers and Medical Officers in Uttar Pradesh.
- (vi) All the Deputy / Assistant Goods and Services Tax Officers in Uttar Pradesh.
- (vii) All the Divisional Forest Officers, Sub-Divisional Officers and Range Officers in Uttar Pradesh.
- (viii) All the Tehsildars and Naib Tehsildars in Uttar Pradesh.
- (ix) All the Tourism Officers and Assistant Tourism Officers in Uttar Pradesh.
- (x) All the District Supply Officers and Food Inspectors in Uttar Pradesh.
- (xi) All the Food and Safety Inspectors of Uttar Pradesh.
- (xii) All the officers of rank Assistant Manager, Junior Engineer and above in Industrial Development Authorities in Uttar Pradesh.
- (e) specify as under, composition fee to be realized by the officers compounding the offences:-

Sr. No. (A)	Quantity of prohibited variety of disposable polythene carry- bags, plastic and thermocol items	Amount in Rupees.
	Up to 100 gms	1,000
		2,000
2	101gms -500 gms	5.000
3	501 gms - 1 kg	10,000
4	1 kg - 5 kg	25,000
5	More than 5 kg	
(B)	Littering of plastic waste by any institution / commercial institution / commercial establishment / educational institutions / offices / hotels / shops / restaurants / sweetshops / dhabas / industrial establishments / banquet halls etc. within premises and on roads, streets, drains, rivers, lakes, ponds, forest areas, public parks, all public places etc.	25,000
(c)	Littering of plastic waste by individuals in the premises of any private or commercial establishments like educational institutions, offices, hotels, shops, restaurants, sweet shops, dhabas, industrial establishments, banquet halls etc. and on	

Manal'

roads, streets, rivers, lakes, public parks, forests area and all public places etc.

- (f) confer such powers and duties of Local Authority as provided in the aforesaid Act, on the Industrial Development Authority, constituted under the Uttar Pradesh Industrial Area Development Act, 1976.
- (g) specify that the material seized under the provisions of the said Act shall be disposed of in an environment friendly manner through recyclers or co-processing units.
- 2- Save as provided here inbefore this Notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Gazette.

By Order .

(Manoj Kumar Singh)
Principal Secretary)